प्रेस नोट
दिनांक 05.10.2024, साइबर सेल
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में 48 उ0प्र0वाहिनी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान एन0सी0सी0 कैडेट व स्टाफ को साइबर अपराधों से बचने के सम्बन्ध में किया गया जागरुक ।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में दिनांक 04.10.2024 को 48 उ0प्र0 वाहिनी एन0सी0सी0 गोण्डा कि वार्षिक प्रशिक्षण शिविर नन्दिनी नगर पी0जी0 कालेज, नवाबगंज गोण्डा में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न जिलों से आये लगभग 600 कैडेट व 50 स्टाफ को साइबर क्राइम से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए ओ.टी.पी. किसी व्यक्ति को साझा न करने, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने, लॉटरी / ईनाम के कॉल, मैसेज के फ्राड होने की सम्भावना होने, अनजान व्यक्ति को यूपीआई पिन न बताने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप (जैसे एनी डेस्क, क्वीक सपोर्ट, टीमव्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि) अपने फोन में कभी भी इंस्टाल न करें, सोशल नेटवर्किग साइट पर होने वाले फ्राड की जानकारी दी तथा साइबर अपराध से तत्काल सुरक्षा व शिकायत दर्ज के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी वेवसाइट www.cybercrime.gov.in की भी जानकारी दी गयी तथा साइबर क्राइम से बचाव हेतु मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गये दिशा निर्देशों के अनुसार भी जागरुकता को प्रचारित किया गया। साइबर अपराध होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं जनपदों में स्थित साइबर सेल पुलिस व थाना स्तर पर बनी साइबर हेल्प डेस्क पर तुरन्त सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गयी। समस्त प्रकार के साइबर अपराध व उनसे बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया व बताया गया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित व सावधानी पूर्वक उपयोग करें व किसी के बहकावें में न आकर अपनी फोटो व गोपनीय जानकारी कभी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी तरीके के साइबर अपराध होने पर तत्काल नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क / महिला हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करायें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.10.2024, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मनकापुर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 05.10.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मनकापुर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह, प्र0नि0 मनकापुर सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.10.2024, थाना कौडिया

जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-213/24, धारा 137(2), 87, 64(2)M बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त मोनू दूबे पुत्र रामपाल दूबे निवासी ग्राम नदावा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक व्यक्ति द्वारा थाना कौडिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी मोनू दूबे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना कौडिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 87, 64(2)M बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 05.10.2024 को आरोपी अभियुक्त मोनू दूबे पुत्र रामपाल दूबे निवासी ग्राम नदावा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोनू दूबे पुत्र रामपाल दूबे निवासी ग्राम नदावा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-213/24, धारा 137(2), 87, 64(2)M बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह

02. का0 महेन्द्र पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.10.2024, को0मनकापुर
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा नवरात्रि/दुर्गापूजा के दृष्टिगत को० मनकापुर क्षेत्र में भ्रमणकर आमजनमानस को कराया सुरक्षा अहसास, दुर्गा पांडालों का स्थलीय निरीक्षण कर आयोजको से वार्ता कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना को० मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा को० मनकापुर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गस्त कर आम जन-मानस को सुरक्षा का अहसास दिलाया गया। महोदय द्वारा आयोजकों से वार्ता कर त्योहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए है । श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गों, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है तथा पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है । संवेदनशील स्थलों पर सी०सी०टी०वी०/ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी करवायी जा रही है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05-10-2024
मिशन शक्ति अभियान 5.0

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूलों में जाकर बालिकाओं की समस्या का किया जा रहा निस्तारण-

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो व स्कूलों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगणों (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। शक्ति दीदी टीम द्वारा गांवों/कस्बों में भ्रमण कर बच्चों/महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के बारे में पम्पलेट बांटकर व जनजागरूक करते हुए आत्मरक्षा के बारे में बताया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों 1090,181,112,1076, 1098,108, 102,1930 आदि के बारे में अवगत कराया गया एवं उनकी शिकायतों को सुनकर निस्तारित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाकं – 05.10.2024, थाना कटराबजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-371/2024, धारा 331(4), 108, 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामबाबू गौतम पुत्र नकछेद गौतम निवासी अहिरन पुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटरा बाजार जनपद, गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाना कटराबाजार पुलिस को सूचना दी कि उसकी पुत्री पर विपक्षी रामबाबू गौतम गलत निगाह रखता था तथा फोन करके परेशान करता था। दिनांक 02.10.2024 को गलत नियत से दीवाल फांदकर घर में घुस गया। परिजनों को द्वारा मौके पर पकड़ कर लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दी गयी जिससे उनकी पुत्री क्षुब्ध होकर तालाब में कुदकर आत्महत्या कर ली। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर पर मु0अ0सं0-371/2024, धारा 331(4), 108, 352, 351(2) बीएनएस बनाम रामबाबू गौतम आदि 03 अभियुक्तों को विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है आज दिनांक 05.10.2024 को थाना कटराबाजार की पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबाबू गौतम पुत्र नकछेद गौतम निवासी अहिरन पुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटराबाजार जनपद, गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामबाबू गौतम पुत्र नकछेद गौतम निवासी अहिरन पुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटराबाजार जनपद, गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-371/2024, धारा 331(4), 108, 352,351(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव चौहान
02. का0 आनन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।